कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल।

(मिश्रित भवन, लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद)

☎ 0326-2313385 Email– dfodhanbad@gmail.com

9471192101, 8987790305 dfo-dhanbad@gov.in

पत्रांक :– 931 दिनांक :– 19.04.2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– मेसर्स बी0सी0सी0एल0 की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक– 106 दिनांक– 03.02.2023 एवं भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक – 145 दिनांक– 08.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स बी0सी0सी0एल0 के मुराईडीह कोलयरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के क्रम में कुल 6 बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। परियोजना पदाधिकारी, मुराईडीह कोलियरी के पत्रांक– 3107 दिनांक– 13.12.2024 द्वारा उक्त पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पृच्छा बिन्दु	प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1.	विषयगत प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त है।	जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र - हजारीबाग द्वारा दिनांक ,आयुक्त 09.12.2024 कों पत्रांक -39(ग)-03(धनबाद)/2024/1524/रा द्वारा निर्गत किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई है। (छायाप्रति संलग्न)	आयुक्त हजारीबाग के पत्रांक 1524 दिनांक 09.12.2024 से निर्गत जंगल–झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
2.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	वनाधिकार अधिनियम2006 , के तहत् FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में बरोरा एवं बरमसिया मौजा में वन अधिकार समिति के गठन के लिए ग्राम सभा दिनांक 03.07.2024 को किया गया था । उसके पश्चात बरोरा मौजा के लिए ग्राम सभा दिनांक 13.08.2024को किया गया एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में ग्राम सभा की अनुशंसा को सम्मिलित करते हुए FRA प्रस्ताव को उपमंडल स्तरीय समिति - 09.09.2024 को दिनांकको भेज दिया गया है। FRA प्रमाण पत्र Final approval से पूर्व जमा कर दिया जायेगा जिसकी ,undertaking संलग्न है।	वनाधिकार अधिनिमय, 2006 के तहत FRA प्रमाण–पत्र हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव उपमंडलीय समिति को भेजा गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि Final Approval के पूर्व समर्पित कर दिया जायेगा। वचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

3.	विषयगत प्रयोजना में जंगल–झाड़ का रकबा 87.52 हे0 (51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ भूमि) अपयोजन हेतु प्रस्तावित है जबकि उपायुक्त को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 2556 दिनांक 14.02.2020 द्वारा अनापत्ति हेतु भेजे गए अनुरोध पत्र में जंगल–झाड़ का रकवा 128.36 एकड़ (51.95 हे0) उल्लेखित है। प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 में वर्णित है कि "वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।" इस भिन्नता कि स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।	• **विषयगत प्रयोजना में जंगल झाड़ का रकबा 87.52 हे० (51.96 हे० गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि एवं35.56 हे० रैयती जंगल-:अपयोजन हेतु प्रस्तावित है (भूमि झाड़** मुराईडीह वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि में ०हे 133.69CS Record के हिसाब से 46.17 हे० अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में आता है एवं 87.52हे० जंगल झाडी की श्रेणी में आता है 51.96)हे० गैरमजरूआ जंगल - 35.56 झाड़ी भूमि एवंहे० रैयती जंगल - । (झाड़ी भूमि • **BCCL द्वारा उपायुक्तधनबाद कों लिखे गए , अनुरोध पत्र (पत्रांक 2556 दिनांक 14.02.2020) में जंगल झाड़ का रकबा 128.36 एकड़ (51.95 हे०) :उल्लेखित है** गैर ०हे 51.96 मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि-। 51.95 हे० एवं ०हे 51.96 रकवा में भिन्नता एकड़ से हेक्टेयर के conversion factor की वजह से हो सकता है । • उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक **11.04.2022 में वर्णित है कि वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 के प्रयोजन हेतु बनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।** झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र के पत्रांक संख्या- 05 लातेहार ०भू०स / -(छाया संचिका)18/181-(विविध) 4715 व०प०-दिनांक ,राँची , 27/11/2018 के अनुसार "Quote "किसी भी वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में शामिल वैसे प्लॉट, जिनकी प्रकृति कैडेस्ट्रल सर्वे (CS), या रिवीजनल सर्वे होने की स्थिति में 25.10.1980के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS), के अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण अस्पष्ट है, उनमें पड़नेवाली गैर अधिसूचित वन भूमि की प्रकृति के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा 25.10.1980के बाद प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) के आधार पर इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र I में प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। संबंधित उपायुक्त	विषयगत प्रयोजना में जंगल–झाड़ का रकबा 87.52 हे0 (51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ भूमि)अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। मुराईडीह वन भूमि अपयोन प्रस्ताव में सम्मिलित 133.69 हे0 वनभूमि में CS Record के हिसाब से 46.17 हे0 अधिसूचित वनभूमि की श्रेणी में आता है एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी की श्रेणी में आता है (51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल– झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ भूमि)। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CS Record के हिसाब से 51.96 हे0 अधिसूचित वनभूमि (बरोरा– 12.08 एकड़ + बरमसिया– 166.28 एकड़ = 128.36 एकड़) गैर मजुरूआ जंलग–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें से आयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1524 दिनांक 09.12.2024 से 64.12 एकड़ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। शेष 64.24 एकड़ रैयती / बी0सी0सी0एल0 / वनभूमि बिहार सरकार आदि दर्ज रहने के कारण उपायुक्त कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु Consider नहीं किया गया है।

		consider नहीं किया गया है।	
4.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव के पार्ट– II के कंडिका– 11(i) में 47.62 हे0 वनभूमि में Violation प्रतिवेदित है, जिसमें Violation के Period of work done में 5 वर्षो का उल्लेख है। परन्तु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नवत् प्रतिवेदित है :– "During the inspection it was found that earlier over burden of mining was dumped over the forest land. The User Agency has shown this in the submitted maps. According to the report submitted by the User Agency OB Dumping was done over 34.38 ha. forest land and 74.72 ha. Jungle-Jhari land. After 1980 OB Dumping has been done over 11.27 ha. foest land and after 1996 OB Dumping was done over 31.35 ha. of Jungle-Jhari land. User Agency has agreed to pay for the Penal Compensatory Afforestation." चूँकि वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो के उपरोक्त प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे0 वनभूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि कुल 42.62 हे0 वनभूमि में कार्य किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा Violation हेतु प्रतिवेदित रकवा में	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा 47.62 हे० वन भूमि में Violation प्रतिवेदित है)Part II, point no. 11) एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के संयुक्त निरिक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27हे0 वन भूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35हे० जंगल 42.62 कुल) झाड़ी भूमि-हे० वन भूमिमें कार्य किया गया है। (इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि OB Dumping का कार्य 11.27हे० अधिसूचिंत वन भूमि पर वर्ष 1980 के बाद एवं 36.35है० जंगल झाडी भूमि पर वर्ष 1996 के बाद (4 कुल7 62.हे० वन भूमि पर)भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना किया गया है। User Agency द्वारा Penal Compensatory Afforestation का भुगतान करने के लिए Undertaking संलग्न किया गया है।	OB Dumping का कार्य 11.27 हे0 अधिसूचित वनभूमि पर वर्ष 1980 के बाद तथा 36.35 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि पर वर्ष 1996 के बाद किया गया है। अर्थात् कुल 47.62 हे0 वनभूमि पर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना OB Dumping कर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है, जो संलग्न है।

		द्वारा निर्गत्त उपर्युक्त प्रमाण पत्र के क्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (प्रयोक्ता अभिकरण) इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र ॥ में वचनबद्धता समर्पित की जाएगी। उपायुक्त द्वारा निर्गत पत्र एवं प्रयोक्तां अभिकरण द्वारा समर्पित -प्रमाण बचनवद्धता प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। Unquote" इस सम्बन्ध में उपायुक्त धनबाद द्वारा ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 कों प्रपत्र I में यह प्रमाणित किया गया है कि (42-01-0पृष्ठ सं) में पड़ने वाली भूमि की विवरणी कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/ 25.10.1980के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का अभिलेख के हिसाब से उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतः 25.10.1980को वर्णित भूमि का किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 2005 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी संलग्न है (42-01-0पृष्ठ सं) (जिसमे भूमि का किस्म जंगल झाडी नहीं है)। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि भूमि जिसका अभिलेख CS के अनुसार उपलब्ध नहीं है वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है। • इसलिए CS Record के हिसाब से 51.96 हे०)Barora:12.08 acres + Barmasia: 116.28 acres = 128.36 acres) गैर-मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। • 64.12 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि)Barora: 6.49 acres + Barmasia: 116.28 acres = 128.36 acres) का अनापत्ति प्रमाणपत्र - ,आयुक्तहजारीबाग द्वारा दिनांक 09.12.2024 कों पत्रांक-39(ग)-03(धनबाद)/ 2024/1524/रा द्वारा निर्गत किया गया है, शेष रकवा- 64.24 एकड़ रैयती / /०एल०सी०सी०बीवन भूमि बिहार सरकार आदि रहने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उपायुक्त कार्यालय द्वारा	

	भी विरोधाभाष है।		
5.	क्षतिपूरक वन रोपण हेतु मौजा– मकराटांड़ एवं उदयपुर में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन एवं DGPS map में अंकित प्लॉट में भिन्नता है।	DGPS map में आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है।	क्षतिपुरक वनरोपण हेतु DGPS map में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। कुछ स्थलों को उपयुक्तता के आलोक में परिवर्तित किया गया है, जिसका Toposheet Map संलग्न है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित 270.44 हे0 वनभूमि का संशोधित स्थल सूची, प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है। तदनुसार Part- II को संशोधित कर दिया गया है, जिसकी हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी map of the outer boundary of mining lease KML का area 720.00 ha. and applied forest land 133.69 + non forest area 584.02 ha. = 717.71 ha. में भिन्नता है।	KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH portal पर upload कर दिया गया है।	KML में आवश्यक सुधार कर PARIVESH Portal पर upload कर दिया गया है। Soft copy (C.D.) संलग्न है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की सात प्रतियॉ संलग्न समर्पित करते हुए अनुरोध है आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

Vikas 19/4/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

धनबाद।

19/04/2025

Pen drive /C.A./Letter 2022